सार्वजनिक प्राधिकरण के भाग के रूप में गठित बोर्ड, परिषद समितियाँ एवं अन्य निकाय

सार्वजनिक प्राधिकरण के भाग के रूप में प्राधिकरण (धारा 4(1) (ख)(viii))

26-03-2024 तक भा.वि.प्रा. बोर्ड की संरचना

क्रसं	बोर्ड के सदस्य
1	श्री. संजीव कुमार, आई.ए.एस., अध्यक्ष भा.वि.प्रा.
2	श्री. विक्रम देव दत्त, आई.ए.एस., डी.जी.सी.ए., पदेन सदस्य
3	सुश्री. रूबीना अली, संयुक्त सचिव, ना. वि. मं.
4	श्री. पन्नालाल नेगी, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, ना. वि. मं.
5	श्री. एम. सुरेश, सदस्य (ए.एन.एस.)
6	डॉ. एच. श्रीनिवास, सदस्य (मा.सं.)
7	डॉ. शरद कुमार, सदस्य(प्रचालन) (अतिरिक्ट प्रभार सदस्य (योजना)
8	श्री. पंकज मल्होत्रा, सदस्य (वित्त)
9	श्री. रविन्द्र सिंह बलावत, गैर सरकारी स्वतंत्र सदस्य
10	सुश्री. माधवी संजय नायक, गैर सरकारी स्वतंत्र सदस्य

26-03-2024 तक लेखा परीक्षा समिति की संरचना का नाम

क्रसं	नाम	पदनाम
1	सुश्री. माधवी संदय नायक	अध्यक्ष
2	श्री. रविन्द्र सिंह बलावत	सदस्य
3	श्री. पंकज मल्होत्रा	सदस्य

26-03-2024 तक सी.एस.आर. समिति की संरचना का नाम

क्रसं	नाम	पदनाम
1	श्री. संजीव कुमार	अध्यक्ष
2	सदस्य (मासं)	सदस्य
3	श्री. रविन्द्र सिंह बलावत	सदस्य

26-03-2024 तक सी.एस.आर. समिति की संरचना का नाम

क्रसं	नाम	पदनाम
1	श्री. रविन्द्र सिंह बलावत	अध्यक्ष
2	सुश्री. रूबीना अली	सदस्य
3	सुश्री. माधवी संजय नायक	

गठन की तिथियाँ

भा.वि.प्रा. बोर्ड दि. 1 अप्रैल 1995 को बनाया गया था।

लेखा परीक्षा समिति, रेम्युनरेशन समिति एवं सी.एस.आर. समिति 23 मार्च, 2017 को बनाई गई थी।

नियम एवं अवधि

भा.वि.प्रा. बोर्ड की शक्ति एवं कार्य भा.वि.प्रा. एक्ट, 1994 में विनिर्दिष्ट हैं।

लेखा परीक्षा समिति

लेखा परीक्षा समिति की भूमिकाएँ एवं जिम्मेदारियां इस प्रकार हैं :

1. वित्तीय विवरणियों की जांच और उस पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जांच रिपोर्ट।
2. कैग ऑडिट की ऑडिट टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।
3. संसदीय लोक उपक्रम समिति की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।
4. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एवं रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम का मूल्यांकन।
5. आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा।
6. बोर्ड द्वारा समय-समय पर सौंपी गई अन्य जिम्मेदारियाँ।

सी.एस.आर. समिति

सी.एस.आर. समिति की भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियाँ इस प्रकार हैं।

1. एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पोंसिबिलिटी पॉलिसी बनाना एवं बोर्ड को उसकी सिफारिश करना, जो कंपनी एक्ट, 2013 के शेड्यूल VII के तहत कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ बतायेगी।
2. मंजूर की गई सी.एस.आर. गतिविधियों पर होने वाले खर्च की रकम की सिफारिश करना।
3. समय-समय पर भा.वि.प्रा. की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पोंसिबिलिटी पॉलिसी की निगरानी करना।

मुआवज़ा समिति

हर कर्मचारी के परफॉर्मेंस से जुड़ी सैलरी, सालाना बोनस/ चर वेतन पूल का मूल्यांकन करने एवं तय सीमा के अंदर कार्यपालक एवं गैर यूनियनाइज्ड पर्यवेक्षकों के बीच इसे बांटने की पॉलिसी के संबंध में मुआवजा समिति बोर्ड को सिफारिश करेगी।

बिन्दु (VI) से (VIII)

भा.वि.प्रा. बोर्ड एवं उसकी समितियों की बैठकें जनता के लिए सुलभ नहीं हैं। हालांकि, विनिर्दिष्ट कार्यसूची मद आर.टी.आई. के आवेदकों को दिए जा रहे हैं, अगर उनमें कार्यनीतिक महत्ता की जानकारी नहीं है या वे आर.टी.आई. एक्ट, 2005 के सेक्शन 8 में दी गई छूट के तहत नहीं आते हैं।